डिस्कलेमर

अंतरिम आदेश संख्या 25/2021-22 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा /20010/एमवाईटीपी/एएआई/एएआईसीएलएएस/सी/चैन्नई /सीपी-I/2009-20

भारतीय विमानपत्त्न आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 25/2021-22

ऐरा भवन,
प्रशासनिक परिसर,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003.

जारी करने की तारीख : 25 अक्तूबर, 2021

मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) द्वारा चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्नई में सीटीओ प्रचालनों से संबंधित वैमानिक सेवाओं के आर्थिक विनियमन के मामले में–25.10.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए अंतरिम आदेश।

1. पृष्ठभूमि

1.1 एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त कंपनी है, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने भारत में विमानन कार्गो कारोबार के निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपने कार्गो विभाग को अलग कर दिया और 11 अगस्त, 2016 को इसे "एएआईसीएलएएस" नामक प्रकार्यात्मक और प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र संगठन में सम्मिलित कर दिया।

1.2 एएआई से कार्गो सेवाओं के वाणिज्यिक प्रचालन लेने के बाद मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) वर्तमान में एएआई के साथ किए गए रियायत करार (दिनांक 14.02.2020 का), जो 30 वर्ष की अवधि के लिए वैध है, के अधीन 11 अगस्त, 2016 से चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्नई में कार्गो सेवाओं (सामान्य और कूरियर कार्गो) के लिए सेवा प्रदाता हैं।

1.3 रियायत करार की शर्तों के अनुसार मैसर्स एएआईसीएलएएस को भारत में स्थित एएआई के सभी हवाईअड्डों पर कार्गो कारोबार 'प्रचालित करने के अधिकार' के परिणामस्वरूप एएआई को अनिवार्यत: 30% राजस्व अदा करना है।

1.4 प्रारंभ में मैसर्स एएआईसीएलएएस को प्रथम नियंत्रण अवधि (01.04.2011 से 31.03.2016) के लिए हवाईअड्डा प्रचालक एएआई के लिए लागू दिनांक 04 फरवरी, 2013 के आदेश संख्या 38/2012-13 में प्राधिकरण द्वारा यथानुमोदित समान कार्गो टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी गई थी। ऐरा द्वारा समय – समय पर जारी विभिन्न अंतरिम आदेशों द्वारा यह टैरिफ मैसर्स एएआईसीएलएएस के लिए बढ़ाई गई/ जारी रखी गई।

1.5 मैसर्स एएआईसीएलएएस ने पहली बार नवम्बर, 2019 में चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के संबंध में ऐरा को अपना बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया। प्राधिकरण ने एएआईसीएलएएस के एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुतियों पर यथोचित परामर्श के बाद यह निर्णय लेते हुए दिनांक 29.06.2020 का आदेश संख्या 16/2020-21 जारी किया कि मैसर्स एएआईसीएलएएस की प्रथम नियंत्रण अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 होगी और कार्गो सेवा के बारे में इसका मूल्यांकन "मटिरियल और प्रतिस्पर्धी" होने के आधार पर यह भी निर्णय लिया कि प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए "लाइट टच अप्रोच" से टैरिफ निर्धारित करेगा।

1.6 प्राधिकरण ने इसकी इन टिप्पणियों के आधार पर कि मैसर्स एएआईसीएलएएस वर्तमान टैरिफ से पर्याप्त लाभ अर्जित कर रही है और यह भी आकलन किया कि आगामी टैरिफ वर्षों में मुद्रा-स्फीति की प्रतिपूर्ति करने के लिए यह लाभ पर्याप्त और प्रयोक्ताओं के लिए औचित्यपूर्ण होगा।

1.7 तदनुसार ऐरा ने आदेश संख्या 16/2020-21 द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 31.03.2020 को मौजूद दरों को 31.03.2022 तक की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया। प्राधिकरण ने इसी आदेश में यह भी कहा है कि यदि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के कारण मात्रा में कोई भी महत्वपूर्ण कमी होती है तो मैसर्स एएआईसीएलएएस भावी टैरिफ वर्षों में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए टैरिफ में किसी भी प्रकार की वृद्धि के लिए उचित औचित्य बताते हुए प्राधिकरण से संपर्क कर सकती है।

1.8 अब मैसर्स एएआईसीएलएएस ने दिनांक 06.09.2021 के पत्र संख्या एएआईसीएलएएस/ऐरा/2021-22/01 द्वारा चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्नई में एयरलाइनों से वसूली योग्य कार्गो टर्मिनल प्रचालन (अंतरदेशीय एवं अंतरराष्ट्रीय) नामक अपनी नई सेवाओं के लिए **अतिरिक्त टैरिफ** के लिए प्राधिकरण से संपर्क किया है। इसके लिए उन्होंने नीचे तालिका-I में बताए अनुसार दरें प्रस्तावित की हैं:-

तालिका –I

कार्गो टर्मिनल प्रचालनों (अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय) के लिए दरें

क्र.सं.	**विवरण**	**दरें (भारतीय रूपए में)**	**न्यूनतम (भारतीय रूपए में)**
1.0	Scheduled Airlines Charges for Export Cargo unitization		
1.1	General	2.55 per kg	200.00 per AWB
1.2	Special	2.81 per kg	300.00 per AWB
2.0	Scheduled Airlines Import Charges for De-stuffing		
2.1	General	2.30 per kg	150.00 per AWB
2.2	Special	2.53 per kg	200.00 per AWB
3.0	Non-Scheduled Airlines Charges for Export Cargo unitization		
3.1	General	2.81 per kg	300.00 per AWB
3.2	Special	2.81 per kg	300.00 per AWB
4.0	Non-Scheduled Airlines Import Charges for De-stuffing		
4.1	General	2.53 per kg	200.00 per AWB
4.2	Special	2.53 per kg	200.00 per AWB
5.0	Scheduled Airlines and Non- Scheduled Domestic Charges		
5.1	Domestic- General (Inbound & Outbound)	1.93 per kg	150.00 per AWB
5.2	Domestic- Special (Inbound & Outbound)	2.12 per kg	200.00 per AWB

1.9 प्राधिकरण ने चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर प्रयोक्ताओं के लाभ के लिए मैसर्स एएआईसीएलएएस द्वारा अतिरिक्त सीटीओ प्रभार के अनुरोध की जांच करके और इन नई सेवाओं को ध्यान में रखकर इस आदेश की जारी होने की तारीख से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर प्रस्तावित अतिरिक्त टैरिफ की अनुमति देने का निर्णय लिया है। मैसर्स एएआईसीएलएएस ऐरा के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ताओं से परामर्श लेने के बाद सामान्य और कूरियर कार्गो सेवाओं के साथ-साथ सीटीओ के लिए नियमित टैरिफ के निर्धारण के लिए वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्तुत करेगी। प्राधिकरण यह भी निर्णय लेता है कि अंतरिम अवधि के दौरान तदर्थ अतिरिक्त प्रभारों से अर्जित राजस्व को प्रथम नियंत्रण अवधि के शेष दो टैरिफ वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कार्गो टैरिफ के निर्धारण के समय एआरआर प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

1.10 ऊपर बताए अनुसार अतिरिक्त सीटीओ प्रभार 01.04.2022 से बंद हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त एएआईसीएलएएस ऐरा के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुबंध किए अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एमवाईटीपी/एटीपी समय रहते प्रस्तुत करेगी।

2 आदेश

प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्राधिकरण के समक्ष रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और स्पष्टीकरणों के आधार पर एतद्द्वारा निर्णय लेता है तथा आदेश देता है कि:

(i) मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) को 25.10.2021 से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए संलग्नक-I में दिए गए टैरिफ कार्ड के अनुसार विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्नई में कार्गो टर्मिनल प्रचालन (अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय) के लिए अतिरिक्त टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाती है। ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित अतिरिक्त सीटीओ प्रभार 01.04.2022 से समाप्त हो जाएंगे।

(ii) अंतरिम/ तदर्थ व्यवस्था से प्राप्त राजस्व प्रथम नियंत्रण अवधि मे शेष दो (2) टैरिफ वर्षों अर्थात वित्त 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कार्गो टैरिफ के निर्धारण के समय एआरआर प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित टैरिफ सीटीओ सेवाओं वाले प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) एएआईसीएलएएस, चैन्नई के लिए दिनांक 29.06.2020 के आदेश संख्या 16/2020-21 द्वारा अनुमोदित टैरिफ और इसकी शर्तें एवं निबंधन वैधता तक लागू रहेंगे।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं साख्यिकी)

सेवामें,

(i) श्री केकू बोमी गज़दार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस)
बेल्मेन हैंगर -1 हैंगर बिल्डिंग,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली **-110003.**

प्रतिलिपि:

(i) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली -110003

संलग्नक -I

एएआईसीएलएएस के लिए चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, चैन्नई में प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कार्गो टर्मिनल प्रचालनों (अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय) के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित अधिकतम दरें

25.10.2021 से 31.03.2022 तक लागू

(दरों में रॉयल्टी प्रभार सम्मिलित हैं और सरकारी कर सम्मिलित नहीं है)

क्र.सं.	विवरण	दरें (भारतीय रूपए में)	न्यूनतम (भारतीय रूपए में)
1.0	Scheduled Airlines Charges for Export Cargo unitization		
1.1	General	2.55 per kg	200.00 per AWB
1.2	Special	2.81 per kg	300.00 per AWB
2.0	Scheduled Airlines Import Charges for De-stuffing		
2.1	General	2.30 per kg	150.00 per AWB
2.2	Special	2.53 per kg	200.00 per AWB
3.0	Non-Scheduled Airlines Charges for Export Cargo unitization		
3.1	General	2.81 per kg	300.00 per AWB
3.2	Special	2.81 per kg	300.00 per AWB
4.0	Non-Scheduled Airlines Import Charges for De-stuffing		
4.1	General	2.53 per kg	200.00 per AWB
4.2	Special	2.53 per kg	200.00 per AWB
5.0	Scheduled Airlines and Non- Scheduled Domestic Charges		
5.1	Domestic- General (Inbound & Outbound)	1.93 per kg	150.00 per AWB
5.2	Domestic- Special (Inbound & Outbound)	2.12 per kg	200.00 per AWB

नोट

1. उपर्युक्त प्रभारों में जीएसटी शामिल नहीं है, यह भारत सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित लागू दरों से लगाया जाएगा।

2. संचालन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी बिल निकटतम उच्चतर रूपए में पूर्णांकित किए जाएंगे।